न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर।

एफ.आर. केस सं०–08/2026

पंजीयन सं०–356/2026

सरफराज अली खां बनाम जुमरत शाह खां

धारा–318(4),115(2),352,351(2) बी.एन.एस.

थाना–गंज, जिला रामपुर।

मु०अ०सं०–245/2025

08.05.2026

अंतिम आख्या पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

प्रार्थी/वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि मुकदमा उपरोक्त में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या प्रेषित की जा चुकी है। प्रार्थी का उक्त मुकदमे में समझौता हो गया है। प्रार्थी अंतिम आख्या से संतुष्ट है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी मुकदमा द्वारा अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

उक्त के संबंध में वादी मुकदमा का साक्ष्य अंकित किया गया, जिनके साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने यह मुकदमा थाना हाजा पर पंजीकृत कराया था। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा अंतिम आख्या स्वीकृत कराना चाहता है।

सुना तथा केस डायरी, अंतिम आख्या एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। अंतिम आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक को तमामी विवेचना, बयान वादी मुकदमा के विवेचन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना समाप्त की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अंतिम आख्या पर वादी मुकदमा को नोटिस भेजा गया, जिस पर उसने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी तथा इस संबंध में वादी मुकदमा का साक्ष्य भी अंकित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा प्रश्नगत वाद की कार्यवाही को समाप्त करने तथा अंतिम आख्या को स्वीकार करने का अभिकथन किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु०अ०सं०–245/2025, थाना–गंज, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत अंतिम आख्या सं०–50/2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अंकित कुमार–I)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर।
J.O.Code–UP3545